

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

04/उ० वि० (स०) विविध-26/16

सीमित निविदा आमंत्रण सूचना

विकास भवन, नया सचिवालय के द्वितीय एवं तृतीय तल पर स्थित उद्योग विभाग में अधिष्ठापित Air Conditioner की Annual Repair & Maintenance Work हेतु अधिकृत एजेंसियों से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। मुहरबंद लिफाफे पर AMC OF A.C उद्घृत यह निविदा अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पदनाम से निबंधित डाक द्वारा दिनांक-18.02.2020 के अपराह्न 2.00 बजे तक जमा किया जा सकता है।

निविदा दिनांक-18.02.2020 के अपराह्न 5:00 बजे निविदा दाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। निर्धारित तिथि के बाद/विलंब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

अधिकृत एजेंसी/निविदा दाता किसी भी कार्य दिवस को उक्त अधिष्ठापित ए०सी० का निरीक्षण कर सकते हैं।

प्रफार्मा

क्र० सं०	कार्य का नाम	वार्षिक दर (प्रति इकाई)		कुल राशि
		अंको में	शब्दों में	
		3	4	5
1	2			
1	(Annual Repair & Maintenance Work of Air Conditioners) (1) 16 Nos. (Carrier Make Duct A.C) each 8.5 Tonne (2) 9 Nos. (Voltas Make Duct A.C) each 7.5 Tonne (3) 20 Nos. (Split A.C) each 2 Tonne (4) 1 Nos. (Split A.C) each 1 Tonne (5) 4 Nos. (Split A.C) each 1.5 Tonne (6) 2 Nos. (Window A.C) each 1.5 Tonne (7) 3 Nos. (Window A.C) each 0.5 Tonne			

अधिकृत निविदा दाता/एजेंसी का नाम हस्ताक्षर
मुहर एवं तिथि सहित।

शर्तें:-

- तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड का लिफाफा अलग-अलग होना चाहिये जो एक बड़े लिफाफे के अंदर बंद रहेगा।
- (i) एजेंसी के Letter-head पर निर्धारित प्रारूप में ही अपना दर (ii) सुरक्षित राशि के रूप में उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पक्ष में 10,000/- (दस हजार) रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना अनिवार्य होगा। (iii) GST का निबंधन (iv) एजेंसी के रूप में निबंधन (v) पैन नंबर (vi) लेवर संतोषप्रद रहने के संबंध में प्रमाणपत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- निविदा कागजात के सभी पन्नों पर अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर तिथि सहित अनिवार्य होगा।

4. कार्य की मात्रा कम या अधिक हो सकती है। दर प्रति इकाई तथा अंक एवं शब्दों में उद्धृत करना अनिवार्य होगा।
5. किसी भी कार्य दिवस में भौतिक सर्वेक्षण किया जा सकता है।
6. सफल निविदा दाता को उद्योग विभाग के नियमानुसार एकरारनामा करने के उपरांत कार्य आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।
7. कार्य आवंटन के उपरांत रख-रखाव कार्य हेतु त्रैमासिक रूप से समर्पित विपत्र का भुगतान संतोषप्रद सेवा की संपुष्टि के आधार पर की जायेगी।
8. रख-रखाव की अवधि 15 मार्च 2020 से एक वर्ष के लिये होगा एवं कार्य की गुणवत्ता के आधार पर समयावधि विस्तार किया जा सकता है।
9. विभागीय सक्षम पदाधिकारी को बिना कारण बताये निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-.....563

/पटना/दिनांक:-.....11-02-2020

04/उ० वि० (स०) विविध-26/16

प्रतिलिपि:- आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
निर्देश है कि इस निलामी सूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।